कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश

17, अरेरा हिल्स, पोस्ट बॉक्स नंबर 1164 भोपाल
दूरभाष–2550488,2550446,2553305,2551282 फैक्स–0755–555162
E-mail : chiefelectoralofficermp@gmail.com, website : ceomadhyapradesh.nic.in

फा.क्र. 84(6)/2016/चार/उप–चु./1550 भोपाल, दिनांक 05.02.2016

प्रति,

श्री राजाराम
कार्यालय सचिव,
बहुजन समाज पार्टी
डी–15, 74 बंगले भोपाल।

विषयः 65– मैहर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र उप–चुनाव 2016– राजनैतिक दलों के स्टार प्रचारकों हेतु वाहन की अनुमति बावत्

संदर्भः बहुजन समाज पार्टी प्रदेश कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक – बी.एस.पी./म0प्र0 भोपाल/2016 दिनांक 05.02.2016.

लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के अंतर्गत स्पष्टीकरण (1) एवं (2) के अनुक्रम में भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक 437/6/आई.एन.एस.टी./2008–सीसी–बीई दिनांक 31.10.2008 एवं 76/इंस्ट्रक्शन्स/2012/ईईपीएस वाल्यूम–। दिनांक 22.1.2014 के पालन में राजनैतिक दलों के प्रचारकों के लिए वाहनों की नियमानुसार अनुमति प्रदान करने का प्रावधान है। संदर्भित पत्र से आपके द्वारा प्रस्तुत स्टार प्रचारकों की लिस्ट अनुसार निम्नांकित वाहनों को अनुमति पत्र जारी किये जा रहे हैः–

क्र.	वाहन क्रमांक एवं वाहन का प्रकार	वाहन परमिट नंबर	स्टार प्रचारक का नाम	चालक का नाम	ब.स.पा. म.प्र.की सूची क्र.	अवधि
1.	MP-06-CA-5063 (स्कार्पियो)	वि.स.उपचु./2016/स्टार प्रचारक 22	श्री बलवीर सिंह डण्डोतिया	श्री राकेश बघेल	65– मैहर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र उप–चुनाव 2016 — क्र. 08	05.02.16 से 11.02.16 शाम 5 बजे तक
2.	MP-04-CA-6365 (स्कार्पियो)	वि.स.उपचु./2016/स्टार प्रचारक 23	श्री रामजी सतनामी	श्री देवेन्द्र कुमार वर्मा	65– मैहर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र उप–चुनाव 2016 — क्र. 36	05.02.16 से 11.02.16 शाम 5 बजे तक

उक्त वाहनों की अनुमति निम्न शर्तो के अधीन जारी की गई हैः–

1.वाहन का उपयोग दल के अधिकृत स्टार प्रचारक के लिए ही किया जा सकेंगा।

2.वाहन एवं वाहन चालक को परिवहन विभाग के नियम/निर्देश अनुसार वाहन का वैध रजिस्ट्रेशन, वैध बीमा एवं चालक का वैध लायसैंस एवं फिटनेस आदि अनिवार्यतः साथ में रखना होगा।

3.वाहन को सक्षम पदाधिकारी जैसे पुलिस,स्थैतिक निगरानी टीम,फलाईग स्कवाड़ आदि द्वारा चेक किए जाने के समय उपलब्ध कराना होगा।

4.स्टार प्रचारक के अलावा अन्य के द्वारा प्रचार–प्रसार करने के लिए वाहन उपयोग में लाए जाने पर अनुमति निरस्त मानी जावेगी तथा अनुमति का उल्लंघन होने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

5.मूल परमिट वाहन के विन्ड स्क्रीन पर चस्पा करना अनिवार्य होगा तथा इस पत्र को वाहन के साथ रखना अनिवार्य होगा। मूल परमिट प्रति राजपत्रित अधिकारी से अभिप्रमाणित कराकर अपने पास वाहन में भी रखें।

6. 65– मैहर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत जिले में वाहन जावेगे। वहां का प्लान उस जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी को एक दिन पूर्व लिखित रूप से फैक्स/ईमेल/डाक से अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जावें।

7.परमिट वाले वाहन का लॉगबुक संधारित किया जाए।

8.परमिट पर अंकित अवधि के लिए ही परमिट मान्य होगा।

9.वाहन चालक के लाइसैस की अवधि या वाहन की परमिट की अवधि/ वाहन बीमा की समाप्त हो जाने पर यह अनुमति स्वतः ही निरस्त हो जाएगी।

10.आयोग के निर्देश का पालन न होने की दशा में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश द्वारा परमिट निरस्त किया जा सकेगा।

11.इस वाहन के स्टार प्रचारक के अलावा उम्मीदवार या उनके एजेंट या उम्मीदवार के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति उपयोग करेंगा तो वाहन का खर्च 50 प्रतिशत उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जाएगा।

12.वाहन में पार्टी का एक ही झण्डा लगाया जाएगा।

13.परमिट की कलर/ब्लेक एंड व्हाइट कांपी मान्य नहीं होगी।

14. 65– मैहर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 2016 दिनांक 13.02.2016 को संपन्न होगां अतः परमिट की अवधि पत्र में उल्लेखित अनुसार होगी।

(मु.नि.प.द्वारा अनुमोदित)

(एस.एस. बंसल)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मध्यप्रदेश

संलग्नः–उपरोक्तानुसार ।

फा.क्र. 84(6)/2016/चार/उप–चु./155 | भोपाल, दिनांक 06.02.2016

प्रतिलिपिः–

1. श्री सचिव भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन अशोक रोड़ नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ।
2. श्री सुमित मुखर्जी सचिव भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन अशोक रोड़ नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ।
3.प्रमुख सचिव म.प्र.शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
4. प्रमुख सचिव म.प्र.शासन परिवहन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
5.सचिव राज्य परिवहन म.प्र.शासन भोपाल
6.आयुक्त रीवा संभाग रीवा मध्यप्रदेश
7.जिला दंडाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (सतना) म0प्र0
8.पुलिस अधीक्षक (सतना) (म.प्र.)
9. रिटर्निंग आफीसर/सहायक रिटर्निंग आफीसर (65– मैहर विधान सभा क्षेत्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. कम्प्यूटर शाखा प्रभारी की ओर **CEO website** पर अपलोड करने हेतु।
11. प्रभारी कन्ट्रोल रूम कार्यालय मुख्य निर्वाचिदन पदाधिकारी म0प्र0।

(एस.एस.बंसल)
06.02.16 संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मध्यप्रदेश

राजाराम
कार्यालय सहायक
उ.ब.पा.मा.प्र.

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश

17, अरेरा हिल्स, पोस्ट बॉक्स नंबर 1164 भोपाल

दूरभाष--2550488,2550446,2553305,2551282 फैक्स--0755--2555162

E-mail : chiefelectoralofficermp@gmail.com, website : ceomadhyapradesh.nic.in

वाहन परमिट

वाहन परमिट नंबर	BE-2016/CEO MP/STAR/22

65 -- मैहर विधानसभा उप चुनाव 2016

1. स्टार प्रचारक का नाम	:	बलवीर सिंह डण्डोतिया
2. राजनैतिक दल का नाम	:	बहुजन समाज पार्टी
3. वाहन का पंजीयन दिनांक	:	30/05/2015
4. वाहन का प्रकार	:	स्कार्पियों
5. वाहन का क्रमांक	:	M.P-06-CA-5063
6. वाहन मालिक का नाम	:	श्री भगवान सिंह
7. वाहन चालक का नाम	:	श्री राकेश बघेल
8. परमिट किस कार्य हेतु जारी	:	चुनाव प्रचार
9. परमिट की स्वीकृति अवधि	:	दिनांक 06/02/2016 से 11/02/2016 शाम 5 बजे तक

नोट :-- यह अनुमति मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य वैध दस्तावेजों रजिस्ट्रेशन, बीमा, वाहन चालक का ड्राईविंग लाईसैंस आदि मान्य होने पर है। अन्यथा यह अनुमति स्वमेव निरस्त हो जावेंगी।

भोपाल,

दिनांक-- 05/02/2016

(एस.एस.बंसल) 2/16

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

मध्यप्रदेश

(एस.एस.बंसल
सं.मु.नि.पदा.
मध्यप्रदेश)

कार्यालय की मुहर

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश

17, अरेरा हिल्स, पोस्ट बॉक्स नंबर 1164 भोपाल
दूरभाष–2550488,2550446,2553305,2551282 फैक्स–0755–2555162
E-mail : chiefelectoralofficermp@gmail.com, website : ceomadhyapradesh.nic.in

वाहन परमिट

वाहन परमिट नंबर	BE-2016/CEO MP/STAR/23

65 – मैहर विधानसभा उप चुनाव 2016

1. स्टार प्रचारक का नाम	:	रामजी सतनामी
2. राजनैतिक दल का नाम	:	बहुजन समाज पार्टी
3. वाहन का पंजीयन दिनांक	:	09/11/2006
4. वाहन का प्रकार	:	स्कार्पियों
5. वाहन का क्रमांक	:	M.P-04-CA-6365
6. वाहन मालिक का नाम	:	श्री कृष्ण कुमार गुप्ता
7. वाहन चालक का नाम	:	श्री देवेन्द्र कुमार वर्मा
8. परमिट किस कार्य हेतु जारी	:	चुनाव प्रचार
9. परमिट की स्वीकृति अवधि	:	दिनांक 05/02/2016 से 11/02/2016 शाम 5 बजे तक

नोट :– यह अनुमति मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य वैध दस्तावेजों रजिस्ट्रेशन, बीमा,वाहन चालक का ड्राईविंग लाईसैंस आदि मान्य होने पर है। अन्यथा यह अनुमति स्वमेव निरस्त हो जावेंगी।

भोपाल,
दिनांक– 05/02/2016

(एस.एस.बसल) 6.2.16
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मध्यप्रदेश

एस.एस.बसल
सं.मु.नि.पदा.
मध्यप्रदेश

कार्यालय की मुहर